न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी-अजीत कुड़ी, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी नियमित अपील सं.05/2022, (सीआईएस सं.29/2016)

CNR-RJAL010007622016

1- राजेन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज०)

...अपीलार्थी/वादी

बनाम

1- ग्राम पंचायत मालाखेडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर (राज०) **.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी**

"पीठासीन अधिकारी मनीषा शर्मा, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 34/18/2012, राजेन्द्र बनाम ग्राम पंचायत मालाखेडा, दावा बाबत स्थाई व आज्ञापक निषेधाज्ञा में दिनांक 02.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दीवानी नियमित अपील।"

उपस्थिति-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रमोहन शर्मा एवं श्री मुकेश शर्मा, अपीलार्थी/वादी की ओर से।
2. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

-निर्णय- दिनांक 20.04.2026

1. अपीलार्थी/वादी की ओर से यह अपील सर्वप्रथम माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर में प्रस्तुत की गयी, जहाँ से यह अपील न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2, अलवर में सुनवाई हेतु अंतरित की गयी, तत्पश्चात हस्तगत अपील को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश दिनाँक 03.02.2017 के द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर में अंतरित किया गया तथा कालान्तर में यह अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के आदेश दिनाँक 29.01.2022 के द्वारा इस

न्यायालय को दिनाँक 03.02.2022 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी।

2. अपीलार्थी/वादी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 34/18/2012, राजेन्द्र बनाम ग्राम पंचायत मालाखेडा, दावा बाबत स्थाई व आज्ञापक निषेधाज्ञा में दिनांक 02.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिससे संबंधित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी द्वारा विचारण न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि अपीलार्थी/वादी मालाखेडा तहसील का निवासी है। ग्राम पंचायत मालाखेडा की एक पडत जमीन जिसकी पैमाईश सिरे पूर्व व पश्चिम को 4 फुट व उत्तर व दक्षिण को 5 फुट है, मुख्य बाजार मालाखेडा गणेश मंदिर के पास दुकान संख्या-120 के पास लगती हुई कस्बा मालाखेडा में स्थित है। अपीलार्थी/वादी एक शिक्षित बेरोजगार युवक है, जिस कारण अपीलार्थी/वादी ने अपना स्वयं का रोजगार करने के लिये विवादित स्थल पर दुकान निर्माण करके अपीलार्थी/वादी को किराये पर देने के लिये एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत मालाखेडा में पेश किया था। ग्राम पंचायत मालाखेडा द्वारा अपनी बैठक दिनांक 07.12.09 में एक प्रस्ताव लिया था जिससे ग्राम पंचायत की आय बढाने के लिये व ग्राम विकास में सहयोग प्रदान करने के लिये विवादित स्थल पर दुकान का निर्माण कर दिया जावे एवं दुकान किराये पर लेने हेतु राजेन्द्र पुत्र बदरीप्रसाद का भी आवेदन प्राप्त हुआ है। जिस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव राजेन्द्र को दुकान किराये की अग्रिम राशि दस हजार रूपये जमा कराकर रसीद जारी की जावे तथा किराया 300/- प्रतिमाह होगा। इस पर अपीलार्थी/वादी ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार किराये की अग्रिम राशि दस हजार रूपये उसी दिन जमा कराये तथा रसीद अपीलार्थी/वादी के नाम पर जारी की गई। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपीलार्थी/वादी को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही विवादित स्थल पर पंचायत के खर्चे से दुकान का निर्माण करके वादी को कब्जा बतौर किरायेदार दे

देगें। उसके पश्चात प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपीलार्थी/वादी के बार-बार निवेदन करने पर आज तक भी दुकान का निर्माण नहीं किया व ना ही अपीलार्थी/वादी को कब्जा दिया। इस संबंध में अपीलार्थी/वादी ने अपने वकील के जरिये दिनांक 04.04.11 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस भी दिलाया, लेकिन उसके बाद भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही विवादित स्थल पर दुकान का निर्माण कराकर अपीलार्थी/वादी को दुकान का कब्जा बतौर किरायेदार दिया। अब प्रत्यर्थी/प्रतिवादी, अपीलार्थी/वादी को नुकसान पहुंचाने के लिये अन्य किसी व्यक्ति को विवादित स्थल पर दुकान निर्माण कराकर किराये पर देना चाहते है। अंत में निवेदन किया कि अपीलार्थी/वादी का वाद विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आज्ञापक निषेधाज्ञा बहक अपीलार्थी/वादी बरखिलाफ प्रत्यर्थी/प्रतिवादी इस आशय की पारित की जावे कि वह विवादित स्थल पैमाइशी 4 बाई 5 फुट जो मुख्य बाजार मालाखेडा गणेश मंदिर के पास दुकान संख्या 120 से लगता हुआ है, कस्बा मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है, पर पंचायत के खर्चे से दुकान का निर्माण कराकर (जिसके लिए कोई समय सीमा न्यायालय निश्चित करे) अपीलार्थी/वादी को कब्जा बतौर किराएदार के दे व अपीलार्थी/वादी को किराए पर थे एवं डिक्री बाबत जारी फरमाए जाने स्थाई निषेधाज्ञा बहक अपीलार्थी/वादी बरखिलाफ प्रत्यर्थी/प्रतिवादी इस आशय की पारित की जाए कि वह विवादित स्थल को खाली कर अथवा उस पर दुकान निर्माण कराकर अपीलार्थी/वादी के अतिरिक्त अन्य किसी को किराए पर ना दे तथा ऐसा करने से बाज आवे। खर्चा मुकदमा अपीलार्थी/वादी को दिलाए जाने का भी निवेदन किया गया है।

3. जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से वादपत्र के खण्डनस्वरूपी जवाब दावा इस आशय का पेश किया गया है कि विवादित जायदाद प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की सार्वजनिक भूमि है। अपीलार्थी/वादी ने विवादित भूमि की हदूदअर्बा गलत अंकित की है। अपीलार्थी/वादी बाजार में टेलर व मोबाईल का काम करता है। उससे पूर्व सरपंच ने चार्ज देते वक्त जो

रजिस्टर उसे संभलवाया था, उसमें प्रस्ताव बैठक का इंद्राज है। अपीलार्थी/वादी के ग्राम पंचायत में दस हजार रूपये जमा है। अपीलार्थी/वादी ने ग्राम पंचायत में निवेदन किया तो हमने इतना कहा कि मौका देखेंगें। लेकिन जब प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बाजार में मौका देखने गये तो व्यापार मण्डल वालों ने उक्त जगह पर दुकान बनाने पर एतराज किया, क्योंकि वहां पर दुकान बनाने की उपयुक्त जगह है ही नहीं। जिस जगह पर अपीलार्थी/वादी दुकान बनाने की बात करता है, वहां पहले से ही बिजली का खंभा लगा हुआ है। पूर्व ग्राम पंचायत में अपीलार्थी/वादी का चाचा पंच के पद पर था जिसने कि पूर्व सरपंच से साजबाज होकर बिना मौका देखे ही दुकान को देने का प्रस्ताव ले लिया और ग्राम पंचायत में दस हजार रूपये की राशि जमा करायी। अपीलार्थी/वादी जहां दुकान बनाने की कहता है, वहां पहले ही खंभा लगा हुआ है और पास में मंदिर बना हुआ है। यदि उस जगह कोई दुकान बना दी जाती है तो मंदिर आने जाने वाले का मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा तथा मैन बाजार का रास्ता भी अवरुद्ध होगा। अंत में अपीलार्थी/वादी को बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नहीं होने का कथन करते हुए अपीलार्थी/वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं होना कथन किया है तथा जवाब दावा के अतिरिक्त कथन में भी इस आशय के कथन किए हैं कि पूर्व ग्राम पंचायत में अपीलार्थी/वादी का चाचा पंच के पद पर था जिसने की पूर्व सरपंच से साजबाज होकर बिना मौका देखे ही दुकान देने का प्रस्ताव ले लिया और ग्राम पंचायत में दस हजार रूपए की राशि जमा करायी गयी। अपीलार्थी/वादी के निवेदन पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने उस जगह का मुआयना किया तो वहाँ पर दुकान के लिए कोई जगह नहीं है तथा व्यापार मण्डल वालों ने उस जगह दुकान बनाने पर एतराज किया क्योंकि अपीलार्थी/वादी जहाँ दुकान बनाने की कहता है वहाँ पहले से ही खंबा लगा हुआ है तथा पास में मंदिर बना हुआ है, यदि उस जगह कोई दुकान बना दी जाती है तो मंदिर आने जाने वाले का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है व मेन बाजार का रास्ता भी अवरूद्ध होता है। अपीलार्थी/वादी चाहे तो ग्राम पंचायत में जमा राशि

दस हजार रूपए प्राप्त कर सकता है। अंत में अपीलार्थी/वादी का दावा मय विशेष हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम किए गए-

5. (1) आया, वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की आज्ञापक निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि विवादित स्थल पैमाईश 4 बाई 5 फुट जो मुख्य बाजार मालाखेडा गणेश मंदिर के पास दुकान संख्या 120 से लगता हुआ है, कस्बा मालाखेडा है, पर पंचायत के खर्चे से दुकान का निर्माण कराकर वादी को कब्जा बतौर किराएदार दे देवें ? ..वादी

(2) आया, वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि विवादित स्थल को खाली को अथवा उस पर निर्माण कराकर वादी के अतिरिक्त अन्य किसी को किराए पर ना दें ? ...वादी

(3) अनुतोष।

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के दौरान गवाह पी.ड.1 राजेन्द्र पुत्र बदरीप्रसाद (स्वयं अपीलार्थी/वादी), गवाह पी.ड.2 राजेन्द्र पुत्र रामकिशन तथा गवाह पी.ड.3 हरिशचन्द्र जांगिड के बयान लेखबद्ध कराये गए व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 लगायत प्रदर्श-5 दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से अपने जवाबदावे के समर्थन में गवाह डी.ड.1 शिमलादेवी के बयान लेखबद्ध कराये गए एवं दस्तोवजी साक्ष्य में प्रदर्श ए-1 को प्रदर्शित कराया गया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य निर्णय दिनांक 02.06.2016 के द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद का निस्तारण करते हुए अपीलार्थी/वादी का वाद विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया गया। जिस निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी/वादी ने यह अपील पेश की है।

8. बहस अपील उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी के द्वारा अपील मीमो में वर्णित किए गए कथनों को दौराने बहस दोहराते हुए यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत द्वारा दिनाँक 07.12.2009 को लिए गए प्रस्ताव में वादी को दुकान आवंटित किए जाने का तथ्य माना गया है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की गवाह डी.ड.1 शिमला देवी सरपंच ग्राम पंचायत ने भी साक्ष्य में वादी द्वारा उसके प्रस्ताव के अनुसार राशि जमा होने के तथ्य को स्वीकार किया है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 लगायत 5 को अपीलार्थी/वादी द्वारा बखूबी साबित करवा दिए जाने के बावजूद भी विवाद्यक संख्या-1 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध निर्णीत करने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। उनका यह भी कथन रहा है कि विचारण न्यायालय ने विवादित स्थल पर भीडभाड होना व आवागमन का रास्ता होना मनमाने तौर पर माना है तथा दिनाँक 07.12.2009 को लिए गए प्रस्ताव के समय भी मौके पर बिजली का खम्बा लगा हुआ था जिससे दुकान निर्माण करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों के विपरीत जाकर आलौच्य निर्णय पारित किया है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रदर्श ए-1 मेजरनामे में वर्णित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से साक्ष्य में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है और केवल प्रदर्श ए-1 के आधार पर अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध विवाद्यक संख्या-1 को तय करने में विचारण न्यायालय ने तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है। जबकि उक्त दस्तावेज केवल मात्र प्रदर्श है जो दस्तावेज की श्रेणी में आता ही नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि विवादित स्थल के पास मंदिर होना भी पत्रावली से बाहर जाकर दी गयी राय है, जबकि विवादित स्थल के लगवा कोई मंदिर ही नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत स्वयं के द्वारा लिए गए प्रस्ताव से पाबंद थी जिसकी पालना में अपीलार्थी/वादी ने

राशि भी जमा करा दी थी लेकिन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने इसके बावजूद भी दुकान बनाकर अपीलार्थी/वादी को किराए पर नहीं दी। उनका यह भी कथन रहा है कि आज दिन तक भी दस हजार रूपए ग्राम पंचायत मालाखेडा में जमा हैं। उनका यह भी कथन रहा है कि मौके पर किसी अन्य को तख्त लगाकर ग्राम पंचायत ने स्वयं के प्रस्ताव के विरूद्ध जाकर किसी अन्य को बैठा दिया है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी/वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में साक्ष्य में प्रदर्श-1 लगायत 5 तक ठोस दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया है जिससे वादपत्र में वर्णित तथ्यों की बखूबी ताईद होती है लेकिन इसके बावजूद भी अपीलार्थी/वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखकर आलौच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अंत में अपीलार्थी/वादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनाँकित 02.06.2016 को अपास्त करने एवं अपीलार्थी/वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया है।

9. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से स्वयं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए हैं।

10. सुना गया। प्रस्तुत किए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार एवं मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं पारित किए गए आलौच्य निर्णय व डिक्री का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इस न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है-

विवाद्यक संख्या-1

11. इस विवाद्यक को साबित करवाये जाने का भार अपीलार्थी/वादी पक्ष पर अधिरोपित किया गया था तथा इसके माध्यम से अपीलार्थी/वादी पक्ष को यह तथ्य साबित करवाये जाने थे, कि आया, वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की आज्ञापक निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि विवादित स्थल पैमाईश 4 बाई 5 फुट जो मुख्य बाजार मालाखेडा गणेश

मंदिर के पास दुकान संख्या 120 से लगता हुआ है, कस्बा मालाखेडा है, पर पंचायत के खर्चे से दुकान का निर्माण कराकर वादी को कब्जा बतौर किराएदार दे देवें ? इस संबंध में स्वयं अपीलार्थी/वादी पी.ड.1 राजेन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद, पी.ड.2 राजेन्द्र पुत्र रामकिशन, पी.ड.3 हरिशचंद जांगिड साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही साक्ष्य पेश की है तथा वादी साक्षी पी.ड.1 राजेन्द्र ने साक्ष्य में विवादित दुकान के बाबत 4 बाई 5 फुट की जमीन को किराये पर प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत में आवेदन किया जाना तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में लिए गए प्रस्ताव की अनुपालना में ग्राम पंचायत में दस हजार रूपये की राशि जमा कराकर रसीद प्राप्त करना बताया है तथा इस संबंध में अपीलार्थी/वादी ने दौराने साक्ष्य प्रदर्श-1 नकल प्रस्ताव ग्राम पंचायत मालाखेडा की बैठक दिनांक 07.12.09, प्रदर्श-2 ग्राम पंचायत का दस्तावेज जिसमें प्रस्ताव संख्या-2 में ग्राम पंचायत मालाखेडा की किराया की दुकान पर चर्चा करने तथा इस संबंध में सभी के द्वारा किराये की दुकान बनाकर नियमानुसार एलोट कर 15 दिन में बनाकर प्रार्थी को कब्जा देने की इबारत अंकित है एव प्रदर्श-5 ग्राम पंचायत मालाखेडा द्वारा वादी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा दस हजार रूपये जमा कराने संबंधी जारी की गई रसीद को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/वादी की तरफ से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के अनुरूप ही प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष की ओर से जवाब दावे में इस तथ्य को सही बताया है कि अपीलार्थी/वादी के ग्राम पंचायत में दस हजार रूपये जमा हैं। जिससे यह तथ्य प्रथमदृष्टया तौर पर साफ व स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/वादी राजेन्द्र द्वारा विवादित स्थल पर दुकान किराये पर लेने के संबंध में किराये की अग्रिम राशि दस हजार रूपये ग्राम पंचायत मालाखेडा में जमा करवायी गयी थी जिसकी रसीद प्रदर्श-5 पेश कर पत्रावली पर मौजूद है। जिस कारण इस संबंध में उभय पक्ष की साक्ष्य पर विस्तार से विवेचन एवं विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों ही पक्षों ने कथित प्रस्ताव दिनाँकित 07.12.2009 की पालना में अपीलार्थी/वादी द्वारा ग्राम पंचायत मालाखेडा में दस हजार रूपए जमा कराने

के तथ्य को स्वीकार किया है।जहाँ तक अपीलार्थी/वादी को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त विवादित दुकान का निर्माण करवाकर अपीलार्थी/वादी को नहीं दिए जाने की आपत्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष की तरफ से अपने जवाब दावे में वर्णित तथ्यों के अनुरूप ही साक्ष्य में कथन करते हुए गवाह डी.ड.1 शिमला प्रजापत ने मुख्य परीक्षा की साक्ष्य में पेश शपथ पत्र में बताया है कि जब प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत ने उक्त दुकान का मौका मुआयना किया तो बाजार के लोगों ने एवं व्यापार मण्डल ने उक्त जगह पर दुकान बनाने पर एतराज किया, एवं विवादित स्थल पर पहले से ही बिजली का खंभा लगा हुआ होना तथा पास में मंदिर बना हुआ होना बताया एवं ग्रामवासियों को बाजार में आने जाने में रास्ता अवरूद्ध होना बताया। जिस संबंध में प्रदर्श ए-1 मेजरनामा को भी पेश कर प्रदर्शित करवाया है। जिरह में इस गवाह ने वादी/अपीलार्थी पक्ष की तरफ से किए गए सभी प्रतिपश्नों को सही बताते हुए यह भी कथन किया है कि यह सही है कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव के अनुसार राशि जमा करवाने के बाद भी दुकान नहीं बनायी। लेकिन यहाँ यह गौरतलब है कि इस संबंध में अपीलार्थी/वादी की साक्ष्य पर गौर किया जाए तो स्वयं अपीलार्थी/वादी राजेन्द्र के द्वारा साक्ष्य के दौरान जिरह में मौके पर दुकान की जगह होना बताया है लेकिन साथ यह भी कथन किया है कि विवादित जगह के पास पहले दुकान है, फिर मंदिर है तथा इस तथ्य को भी सही बताया है कि विवादित जगह पर बिजली का खंभा भी मौजूद है। इसी प्रकार, अन्य वादी साक्षी गवाह पी.ड.2 राजेन्द्र पुत्र रामकिशन के द्वारा भी जिरह में विवादित जगह पर बिजली का खंभा लगा हुआ होना तथा विवादित जायदाद के बीच में रास्ता होना एवं जिसमें से बाजार के लोग आते-जाते रहते हैं, बाबत स्पष्ट कथन किया है।इस प्रकार, स्वयं अपीलार्थी/वादी पक्ष की तरफ से पेश की गयी समस्त साक्ष्य से यह तथ्य साफ व स्पष्ट तौर पर प्रकट आया है कि विवादित स्थल मुख्य बाजार मालाखेडा में गणेश मंदिर के पास दुकान संख्या 120 के पास लगती हुई पडत जमीन है, और जिस विवादित स्थल पर बिजली का खंभा लगा होना तथा विवादित स्थल पर आवागमन का रास्ता

होने बाबत स्पष्ट साक्ष्य दी है। जिस कारण प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का यह कथन कि मौके पर विवादित स्थल पर दुकान की जमीन के पास बिजली का खम्बा होना, एवं बाजार में आवागमन का रास्ता होने के कारण बाजार के लोगों एवं व्यापार मण्डल द्वारा एतराज किए जाने के तथ्य को बखूबी साबित करवाया है तथा जिस संबंध में प्रदर्श ए-1 मेजरनामा भी पेश कर प्रदर्शित करवाया है। इसके अतिरिक्त विवादिल स्थल पर पंचायत के खर्चे से दुकान निर्माण कराकर वादी को कब्जा बतौर किरायेदार देने का प्रश्न है, तो इस संबंध में स्वयं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी पक्ष की तरफ से परीक्षित हुए गवाह डी.ड.1 शिमलादेवी ने ग्राम पंचायत मालाखेडा की बैठक दिनांक 07.12.09 में प्रस्ताव पारित होना तथा प्रदर्श-2 में प्रस्ताव संख्या-2 में नियमानुसार दुकान एलाट किये जाना बताया है। लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि जब मौका देखने गये तो वहां दुकान निर्माण की जगह ही नहीं थी। जिस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से प्रदर्श ए-1 मेजरनामा भी प्रदर्शित कराया गया है, जिसमें व्यापार मण्डल ने उक्त विवादित स्थल पर आवागमन का रास्ता होने, भीडभाड होने तथा दुकान के लिये उपर्युक्त जगह नहीं होने के कारण दुकान निर्माण के लिये एतराज किया है। जिस तथ्यों के संबंध में स्वयं अपीलार्थी/वादी की तरफ से इस आशय की साक्ष्य दी गयी है कि विवादित स्थल जहाँ पर दुकान बनायी जानी थी वहाँ पर बिजली का खम्बा है, तथा पास में मंदिर था एवं बाजार के आवागमन का रास्ता था। इस प्रकार, स्वयं अपीलार्थी/वादी के कथन ही उसके वादपत्र में वर्णित तथ्यों से विपरीत एवं मेल नही खाते हैं। जहां तक आपीलार्थी/वादी के बेरोजगार होने का प्रश्न है तो इस संबंध में स्वयं अपीलार्थी/वादी पक्ष की तरफ से साक्ष्य में स्वयं अपीलार्थी/वादी पी.ड.1 राजेन्द्र ने जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि उसने मेन बाजार में दुकान किराये पर ले रखी है जिसमें मोबाईल व टेलर का काम करता है। साथ ही यह भी बताया है कि प्रदर्श-1 प्रस्ताव लिया, तब उस समय उसके चाचा ग्राम पंचायत मालाखेडा में पंच के पद पर थे। जिससे स्वयं अपीलार्थी/वादी के इस कथन की युक्तियुक्त पुष्टि नहीं होती है कि अपीलार्थी/वादी बेरोजगार हो एवं उसे रोजगार की

सख्त आवश्यकता रही हो।यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/वादी की यह भी आपत्ति रही है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से पेश प्रदर्श ए-1 मेजरनामा में वर्णित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इस संबंध में इस अपील न्यायालय का यह विनम्र मत है कि जब स्वयं अपीलार्थी/वादी ने विवादित स्थल के पास बिजली का खम्बा होने, नजदीक में मंदिर होने एवं बाजार का रास्ता अवरूद्ध होने के तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है, तो फिर प्रदर्श ए-1 मेजरनामा में वर्णित किसी व्यक्ति को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से पेश कर परीक्षित नहीं करवाए जाने मात्र से ही कोई विशेष रूप से विपरीत प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि मेजरनामा उक्त तथ्यों से ही संबंधित रहा था जिसमें विवादित स्थल के पास बिजली का खम्बा होना, मंदिर होना, बाजार का रास्ता अवरूद्ध होना आदि के कारण ही विवादित स्थल पर दुकान निर्माण नहीं कराए जाने बाबत पेश किया गया था जिन तथ्यों को अपीलार्थी/वादी ने भी अपनी साक्ष्य में सही होना बताया है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब अपीलार्थी/वादी को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की तरफ से विवादित स्थल पर बिजली का खम्बा एवं मंदिर तथा बाजार का आवागमन का रास्ता होने के संबंध में अवगत कराते हुए दुकान का निर्माण नहीं करवाए जाने बाबत सूचित किया गया था, तो अपीलार्थी/वादी ने विवादित स्थल के स्थान पर अन्यत्र किसी नजदीकी दूसरे स्थान पर दुकान निर्माण कराए जाने बाबत कोई निवेदन पत्र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत को प्रेषित किया गया हो, इस आशय की भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। साथ ही इस आशय की भी कोई साक्ष्य अपीलार्थी/वादी की तरफ से पेश नहीं करवायी गयी है कि अपीलार्थी/वादी को दुकान अलॉट नहीं होने की स्थिति में उसने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत में जमा करायी गयी दस हजार रूपए की राशि वापिस लौटाने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी हो, इस संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि अपीलार्थी/वादी की तरफ से इस आशय की भी लेशमात्र साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाकर इस तथ्य को साबित करवाए जाने का प्रयास नहीं किया

गया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपीलार्थी/वादी को विवादित स्थल पर दुकान निर्माण कराकर किराए पर नहीं दिए जाने के संबंध में जान बूझकर कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अपीलार्थी/वादी को सदोष हानि पहुंचाई हो। अपीलार्थी/वादी ने अपील न्यायालय के समक्ष भी किसी प्रकार के कोई विशिष्ट तथ्य एवं कथन अन्यथा तौर पर प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे कि यह दर्शित होता हो कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने जान बूझकर अपीलार्थी/वादी को बिना किसी कारण के विवादित स्थल पर दुकान नहीं बनाकर एवं उसे अपीलार्थी/वादी को किराए पर नहीं देकर उसे रोजगार से वंचित किया हो। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर मौजूद उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सही प्रकार से विस्तृत विवेचन करते हुए सही प्रकार से विवाद्यक संख्या-1 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किए जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या-1 अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-2

12. इस विवाद्यक को साबित करवाए जाने का भार भी अपीलार्थी/वादी पर अधिरोपित किया गया है जिसके माध्यम से अपीलार्थी/वादी को यह तथ्य साबित करवाए जाने हेतु रहे हैं कि क्या, वादी, प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है कि विवादित स्थल को खाली को अथवा उस पर निर्माण कराकर वादी के अतिरिक्त अन्य किसी को किराए पर ना दें? इस विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही प्रकार से अपना मत अभिव्यक्त करते हुए आलौच्य निर्णय में यह वर्णित किया गया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ग्राम पंचायत मालाखेडा द्वारा अपीलार्थी/वादी राजेन्द्र को विवादित स्थल पर दुकान निर्माण कराकर नियमानुसार एलोट किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया था तथा यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा ग्राम पंचायत मालाखेडा में दुकान किराये हेतु 10,000/- अग्रिम किराया राशि जमा कराई गई थी, लेकिन प्रकरण में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की साक्ष्य के अलावा स्वयं अपीलार्थी/वादी के वादपत्र के अभिवचनों तथा मौखिक साक्ष्य में यह तथ्य

जाहिर होता है कि उक्त विवादित स्थल पर बिजली का खंभा लगा हुआ है तथा विवादित स्थल के पास मंदिर है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श ए-1 मेजरनामे से विवादित स्थल पर आवागमन का रास्ता होना तथा दुकान निर्माण के लिये उपर्युक्त स्थल नहीं होने का तथ्य भी उजागर हुआ है। जिस कारण अपीलार्थी/वादी की अपेक्षा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की साक्ष्य अधिक प्रभावी होने के कारण ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं पाए जाने से विवाद्यक संख्या-2 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नजर नहीं आती है। अतः विवाद्यक संख्या-2 अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष-

13. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार चूंकि हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण विवाद्यक संख्या-1 व 2 को अपीलार्थी/वादी अपने पक्ष में साबित करवा सकने में पूर्णतया असफल रहा होने से विवाद्यक संख्या-1 व 2 को अपीलार्थी/वादी के विरूद्ध तय कर निर्णीत किया गया है जिससे अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत की गयी यह अपील पूर्णतया सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किए जाने योग्य एवं विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी व आज्ञापक निषेधाज्ञा पूर्णतः युक्तिसंगत व विधिसम्मत आधारों पर खारिज किए जाने से पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनाँक 02.06.2016 पुष्ट किए जाने योग्य पाया जाता है।

- आदेश -

14. परिणामतः अपीलार्थी/वादी राजेन्द्र पुत्र बद्री प्रसाद की अपील एततद्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अलवर द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 34/18/2012, राजेन्द्र बनाम

ग्राम पंचायत मालाखेडा, दावा बाबत स्थाई व आज्ञापक निषेधाज्ञा में दिनांक 02.06.2016 को पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाती है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावे।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनाँक **20.04.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(अजीत कुड़ी)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या-4,
अलवर (राज०)